F-19-427/2018/64/01/9 अस्मित मिट्ड पट क्र शासन का विभाग विषय : छब्बीस-२ सचिवालय (1) till 37772, -6966/8015 13-18-18.20B (१) प्रमात्र ६८७६/२०१५ (3) पंत्री उमा ६ ६१६८/२०। र्ना ४ १६ १२ २०। हुप्पा मिठ पर्वों में भेनली भेन हो। कार्यालन पंडी, त्नीह निर्माण मिमाग समाग प्रेंड द्वारा महरम हमांह कम् १५०२/२०७ में वाहिस निय के मान्छ नायालाय व्यानिय दाता परित र- मिट्ट शासकी वस समापि हैंद न्याप स्वरं मेरे अपने भी अपने है। देश भिन्न की अभागिशा है। अने अपना है। हैने अपन आने दे में की असे अपूर्व था प्रेम सामा की मिना में भोजाद में भोजी आना अस्ता मिना मार्थित कियारा हो है जा के सामित के की कार्या हो है। मार्थित कियारा हो है जा के मार्थित अगार्थ अगार्थ मार्थित कियो जार्थ के जार्थ मार्थ हम्हर्ष की के अनुमीपना भी-हत्वाष्ट्रार्थ महत्व

1474'. Re 48 30 2014 (07 347) विषय : छब्बीस-२ सचिवालय 250 QV-जारम सम् अस्य प्रति के शति में नार्म इस्स्मारार्थ अदर्ह) STENTER CREE) सन्ध प्रदेश न्द्रता प्रदेश । उत्राह्म का दीन (रिक्ट) अन्द्रिम 306-03-19 14/01/20/6


का विभाग

hurt 16

Res 12/1/2016

P-17-927/2015/410/19 विषय: ७००० ७५० २५०२५०७ । मार्गी प्रकार का विभाग 24 200 G!-180316 Actor family सचिव, म.प्रशासन लोक निर्माण विभाग

0	The second secon	
	विषय :	
छब्बीस-२ सचिवालय	THE THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED IN	का विभा
N STATE OF THE REAL PROPERTY.		
	The same of the sa	
	THE PARTY OF THE P	
		100
		-
		138
		1
		100
		100
		4.55
		-
		196
		195
		1
		1
		1
		-
		1



HIGH COURT OF MADHYA PRADESH BENCH AT GWALIOR


WRIT PETITION 7402 of 2015

PETITIONER

Bhagirath Prasad S/o Shri Jamuna Prasad, Age 54 years, Occupation -Service classified daily wages employee (Painter), R/o - Ater road, behind Bombay building, Bhind (M.P). Kamna S/o Shri Mantole Aged- 65 years


Occupation - retired classified daily wages employee labour, R/o Ater road,

Bhind (M.P).



Versus.


State of Madhya Pradesh Through Principal Secretary, Ministry of Public Works Department, Vallabh Bhawan, Bhopal. (M.P).



- Chief Engineer, Public Works Department, Thatipur Gwalior(M.P)
- Executive Engineer, Public Works Department, Division Bhind (M.P.)



RESPONDENTS



please this Hon'ble Court,

The petitioner most respectfully submits as under:-

Particulars of the order against which the petition is made: -

The petitioner is aggrieved by the action of respondents whereby he has not been absorbed/ regularized in service, despite the fact that he has been classified on the permanent post of time keeper since 01.10.1993 on the basis of actual work being taken by him. But even than the respondents are not giving him the benefit of post like pay scale and increment etc. of the post. The said action of the respondents is against the public policy and discriminatory contrary to provisions of the Article 14 and 16 of the Constitution of India. Hence this petition.

2015

Terrain.

./tar/19

2015 द्वारा

न्यायालय

पंजीकृत

प्रभारी य में

मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय बल्लभ-भवन-भोपाल-462004,

//आदेश//

भोपाल, दिनांक

क्रमांक-एफ-19-427/2015/स्था/19:: राज्य शासन एतद्द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (अधिनियम की संख्या—5) के आदेश सत्ताईस के नियम—1, तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संमाग सर्वेनक को मान. उच्च न्यायालय, खंडपीठ, ग्वालियर द्वारा याचिका क्रमांक-7402/2015 श्री भागीस्थ प्रसाद विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रमारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और सत्यापित करने के लिये कार्य करने, आवेदन करने और उपसंजात होने के लिए नियुक्त करता है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि म.प्र. विधि ओर विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ स्थिति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये है. निम्नलिखित कार्य करेगा :--

- 1. प्रभारी अधिकारी मामले में तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसी की आवश्यकता हो और याचिका के उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संभावना है। रिपोर्ट तैयार करेगा यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से की जायेगी।
- वह पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं को पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ओर ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें की शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार
- समस्त सुसंगत फाईले, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाओं तथा आदेशों को एकत्रित करेगा।
- उक्त रिपोर्ट तथा समाग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
- शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन उत्तर तैयार कर सकेगा।
- प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजात पत्र भेजेगा :--
 - (क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
 - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
 - (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल कराना प्रस्तावित है और किसी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई।
 - (घ) मामले के विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां इसमें वाद पत्र की तारीख भी

7. मामले को तैयार और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहायोग करना वाद मामले में उसे जब भी कोई आदेश / निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है उसके संबंध में विधि विभाग को सूचित करने तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस

- ::2:: अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश / निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजें।
- यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देनें में समय नष्ट नही हों।
- 10. जैसे ही उसे अपने स्थानांतरण आदेश प्राप्त होत है वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा यह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात भी जबकि प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता प्रभारी अधिकारी बना रहेगा।
- 11. प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने से शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहायोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य दस्तावेज अप्रकाशित / छुपा हुआ नही रह जाए।
- 12. प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का अविनिश्चिय होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को देगा। निर्णय एक अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त की जाय
- 13. प्रभारी अधिकारी का यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद प्रक्रम में पारित किए गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह इस आदेश की प्रति जैसे ही यह पारित किया जाए विभाग अध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा सरकार प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(सुनील मडावी)

अवर सचिव पु.क्रमांक - एफ-19-427/2015/स्था/19 मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग प्रतिलिपि:- निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आदश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-भोपाल, दिनांक

रजिस्ट्रार, मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ,ग्वालियर।

प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, विधि ओर विधायी कार्य विभाग, भोपाल। 3.

प्रमुख अभियता, लोक निर्माण, म०प्र० भोपाल।

मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर परिक्षेत्र ग्वालियर।

अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण मण्डल ग्वालियर।

6. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संमाग मिण्ड / प्रभारी अधिकारी की और अग्रेषित, साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क कर विशेष अनुमति याचिका दायर कर रिपोर्ट के साथ एक प्रति इस विभाग को जिलाध्यक्ष जिला भिण्ड।

अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग